प्रकाशनार्थ अनुमोदित

एकल पीठ

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 4436/2006

याचिकाकर्ता: श्रीमती कांति देवी चौर्के, पति स्वर्गीय श्री पुखराज सिंह चौर्के, आयु लगभग 33 वर्ष, निवासी ग्राम – बांधा बाजार, तहसील चौकी, जिला: राजनांदगांव – (छ.ग.)

विरुद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादीगण:

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर, जिला: रायपुर–(छ.ग.)
2. भारत संघ, द्वारा सचिव, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग, तीसरा तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली
3. आयुक्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, रायपुर, जिला: रायपुर–(छ.ग.)
4. कलेक्टर राजनांदगांव, जिला: राजनांदगांव–(छ.ग.)
5. मध्य प्रदेश राज्य, द्वारा सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, जिला: भोपाल (म.प्र.)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 / 227 के तहत प्रस्तुत रिट याचिका

25–08–2006

श्री सी.आर. साहू, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।
राज्य/उत्तरवादी संख्या 1, 3 और 4 के लिए श्री सतीश गुप्ता, उप शासकीय अधिवक्ता, अग्रिम प्रति पर।
भारत संघ/उत्तरवादी संख्या 2 के लिए श्री एस.के. बेरीवाल, केंद्र सरकार के अधिवक्ता, अग्रिम प्रति पर।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत इस रिट याचिका द्वारा, याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की है कि उत्तरवादियों को याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश दिया जाए और उत्तरवादी संख्या 4 द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–6–2006 को रद्द करने की भी प्रार्थना की है, जिसके द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के लिए दायर याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस रिट याचिका को दायर करने के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता का दावा है कि उसके पति स्वर्गीय पुखराज सिंह चौर्के उच्च माध्यमिक विद्यालय, जादुटोला में उच्च श्रेणी शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। सेवा के दौरान दिनांक 7–12–1996 को उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने पढ़ाई शुरू की और वर्ष 1998 में अपनी हाई स्कूल परीक्षा और वर्ष 2000 में उच्च माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण की। याचिकाकर्ता के दो बच्चे हैं जो विद्यालय जाते हैं। उसके पास परिवार के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं है। इसलिए, उसने दिनांक 21–8–2000 को आयुक्त, जनजातीय कल्याण, मध्य प्रदेश, भोपाल के समक्ष अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। राज्य के पुनर्गठन के बाद, उक्त आवेदन छत्तीसगढ़ राज्य को भेज दिया गया और इसे ज्ञापन दिनांक 10–7–2003 (संलग्नक P–5) द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि केवल दिनांक 1–11–2000 या उसके बाद मरने वाले कर्मचारियों के विधिक उत्तराधिकारी ही अनुकंपा नियुक्ति के हकदार हैं। परिवार में एक कमाने वाला सदस्य है।

मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को स्वीकृति के प्रश्न पर सुना है। अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में विधि सुस्थापित है कि "सामान्य रूप से, शासकीय या अन्य लोक क्षेत्रों में रोजगार उन सभी पात्र उम्मीदवारों के लिए खुला होना चाहिए जो आवेदन करने के लिए आगे आ सकते हैं और एक–दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप है। प्रतिस्पर्धी गुणदोष के आधार पर, लोकपद पर नियुक्ति की जानी चाहिए। इस सामान्य नियम से तब तक विचलन नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि बाध्यतापूर्ण परिस्थितियाँ न हों, जैसे कि एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु और परिवार को इसके फलस्वरूप होने वाले कष्ट होने की संभावना। एक बार जब यह साबित हो जाता है कि कमाने वाले की मृत्यु के बावजूद परिवार जीवित रहा और पर्याप्त अवधि बीत चुकी है, तो नियुक्ति के सामान्य नियम को नकारने और संविधान के अनुच्छेद 14 के आदेश की उपेक्षा करते हुए कई अन्य लोगों के हितों की कीमत पर किसी एक का पक्ष लेने की कोई आवश्यकता नहीं है"।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अनुकंपा नियुक्ति विधिक आवश्यकता का केवल एक अपवाद है, जो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए रखा गया है कि सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु से उसका परिवार आजीविका के किसी भी साधन के बिना रह जाता है और इसका उद्देश्य परिवार को अचानक आए वित्तीय संकट से उबारने में सक्षम बनाना है। अनुकंपा नियुक्तियां राज्य सरकार और सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी नियमों, विनियमों या प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार की जानी चाहिए। अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा विरचित नियमों और योजना के अनुसार नियुक्ति के लिए पात्र होना चाहिए और उस पद पर रिक्ति होनी चाहिए जिसके लिए मृतक कर्मचारी का आश्रित आवेदन कर रहा है।

हरियाणा राज्य एवं अन्य विरुद्ध रानी देवी एवं अन्य, (1996) 5 SCC 308 के मामले में, शीर्ष न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदक का दावा इस आधार पर आधारित है कि वह मृतक–कर्मचारी पर आश्रित था। कड़ाई से इस दावे को

संविधान के अनुच्छेद 14 या 16 की कसौटी पर बरकरार नहीं रखा जा सकता। हालांकि, ऐसे दावे को ऐसे कर्मचारी जिसने राज्य की सेवा की है और जिसकी सेवा के दौरान मृत्यु हो गई है, के परिवार में उत्पन्न अचानक संकट के आधार पर उचित और स्वीकार्य माना जाता है। इसीलिए अधिकारियों के लिए ऐसे नियम, विनियम बनाना या ऐसे प्रशासनिक निर्देश जारी करना आवश्यक है जो अनुच्छेद 14 और 16 की परीक्षा में खरे उतर सकें। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता।

उमेश कुमार नागपाल विरुद्ध हरियाणा राज्य एवं अन्य, (1994) 4 SCC 138 प्रकरण में शीर्ष न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति भर्ती का स्रोत नहीं हो सकती। यह विधिक आवश्यकता का केवल एक अपवाद है, जो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए रखा गया है कि सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु से उसका परिवार आजीविकाविहीन रह जाता है। ऐसे मामलों में, इसका उद्देश्य परिवार को अचानक आए वित्तीय संकट से उबारने में सक्षम बनाना है। इसलिए, अनुकंपा के आधार पर ऐसी नियुक्तियाँ नियमों, विनियमों या प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार मृतक के परिवार की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए। मृतक कर्मचारी के आश्रित के प्रति इस अनुकूल व्यवहार का उस उद्देश्य के साथ स्पष्ट संबंध होना चाहिए जिसे इसके माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया गया है, अर्थात निराश्रयता के विरुद्ध राहत। साथ ही, यह नहीं भूलना चाहिए कि मृतक के निराश्रय परिवार के विरुद्ध करोड़ों अन्य परिवार हैं जो समान रूप से, यदि अधिक नहीं तो, निराश्रय हैं। मृतक कर्मचारी के परिवार के पक्ष में किए गए नियम का अपवाद उसके द्वारा दी गई सेवाओं और वैध प्रत्याशा तथा पूर्व रोजगार द्वारा उत्पन्न परिवार की प्रास्थिति और मामलों में बदलाव, जो अचानक से घटित हो जाते हैं, को ध्यान में रखते हुए है।

श्रीमती सुषमा गोसाईं एवं अन्य विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य, (1989) 4 SCC 468 के प्रकरण में, शीर्ष न्यायालय ने निर्धारित किया था की कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के दावों

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

में नियुक्ति में कोई विलंब नहीं होना चाहिए। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने का उद्देश्य परिवार में कमाने वाले की मृत्यु के कारण होने वाली कठिनाई को कम करना है। इसलिए, संकट में पड़े परिवार को उबारने के लिए ऐसी नियुक्तियाँ तुरंत प्रदान की जानी चाहिए। यह तथ्य कि आश्रित अपने पिता की मृत्यु के समय अवयस्क था, कोई आधार नहीं है, जब तक कि योजना स्वयं स्पष्ट रूप से इसके विपरीत प्रावधान न करे, यह कहने के लिए कि जब भी ऐसा अवयस्क वयस्क हो जाता है, तो उसे व्यतीत समय पर ध्यान दिए बिना या बिना समय सीमा के नियुक्त किया जा सकता है।

इसलिए, इस बिंदु पर कानून यह है कि प्रथम दृष्टया, अनुकंपा नियुक्ति परिवार में कमाने वाले की मृत्यु के कारण होने वाली कठिनाई को कम करने के लिए की जाती है और ऐसी नियुक्तियाँ इसलिए तुरंत संकट में पड़े परिवार को उबारने के लिए प्रदान की जानी चाहिए। अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने में देरी याचिकाकर्ता को इस सिद्धांत पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए अयोग्य बना देती है कि याचिकाकर्ता वित्तीय कठिनाई में नहीं था। अनुकंपा नियुक्ति केवल राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार ही की जा सकती है। इसके अलावा पद भरने के लिए रिक्ति होनी चाहिए और अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति चाहने वाला याचिकाकर्ता उस पद के लिए पात्र भी होना चाहिए जिस पर नियुक्ति मांगी गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यदि हम उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में याचिकाकर्ता के मामले की जांच करें, तो याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु वर्ष 1996 में हुई थी, जबकि याचिकाकर्ता ने अपने पति की मृत्यु के चार साल बाद, वर्ष 2000 में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। इसके अलावा, याचिकाकर्ता के आवेदन को वर्ष 2003 में ही खारिज कर दिया गया था और यह रिट याचिका वर्ष 2006 में दायर की गई है। दिनांक 10–7–2003 के आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता के परिवार में पहले से ही एक सदस्य है जो याचिकाकर्ता के परिवार के लिए कमा रहा है। परिस्थितियों में, विलंब के आधार पर, याचिकाकर्ता का अनुकंपा नियुक्ति का दावा

सिद्धांत के अनुरूप नहीं था। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की नीति के अनुसार उन कर्मचारियों के विधिक उत्तराधिकारी अनुकंपा नियुक्ति के हकदार हैं जिनकी मृत्यु सेवा के दौरान दिनांक 1–11–1997 को या उसके बाद हुई थी, जबकि याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु दिनांक 7–12–1996 को हुई थी।

इसलिए, याचिकाकर्ता का आवेदन उचित रूप से खारिज किया गया है और याचिकाकर्ता अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रकरण का आधार बनाने और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किये जाने के लिए सफल नहीं हुई है, अतः, रिट याचिका खारिज होने योग्य है और इसे प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज किया जाता है।

सही/-
एल.सी. भादू

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सोमा

= = = = 0000= = = =

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**